कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

कमांक : 20

दिनांक : 27.02.2026

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आदेश कमांक 03/ई.वी./2026 दिनांकित 27.02.2026 के अनुसार दिनांक 04.03.2026 को होली के त्यौहार के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04.03.2026 के राजकीय अवकाश हेतु राजसमंद न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी **श्रीमती साक्षी शर्मा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद को रिमांड ड्यूटी/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

पूर्व का शेष आदेश यथावत रहेगा।

—sd—

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

कमांक : स्था0/2026/129

दिनांक : 27.02.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित किया जावे।
4. इन्चार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय राजसमन्द को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई—कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

अनिता शर्मा 27-2-26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द